

राम/के/३५/का/२

163/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20/12/23	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिवाचक सघ ने आठ न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 20/3/24 को पेश हो</p>	<p>तहसीर जारी 2614 21.3.2024</p>
28/3/24	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांत शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। बाकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 10.6.24 को पेश हों।</p>	<p>साधारण नोटिस जारी 21.05.24 8240-50 LC पत्रावली सांसद 90/22 31.5.24</p>
10.6.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील सारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली को / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9.7.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	
9.7.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांत एवं अपीलांत स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसको बावजूद अपीलांत एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फसस्वरूप अपील अपीलांत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में सारिज की जाती है। निर्णय तारे इजलास पुनः पेश। प्रकरण फैसल सुनार लेकर नम्बर से कम होकर यदि तलबी प्रकमील बाखिल टफतर हो।</p>	



भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झन)